अज अदालत : सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) नोहर
जिला हनुमानगढ़

जगदीश बनाम परमेश्वरी आदि

किस्म मुकदमा : 212 आर.टी. एक्ट

प्रकरण संख्या 115 /2023

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	[illegible]
30.05.2023	यह प्रार्थना पत्र प्रार्थी की ओर से जरिये अधिवक्ता राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 212 के अन्तर्गत प्रस्तुत किया । प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जावे । वकील प्रार्थी की इकतरफा बहस सुनी। पत्रावली का अवलोकन किया । प्रार्थना पत्र के संलग्न दस्तावेजों व शपथ पत्र के आधार पर प्रथम दृष्ट्या प्रकरण प्रार्थी के पक्ष में प्रतीत होता है । अतः : प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज व शपथ पत्र के आधार पर इस आशय की अन्तरिम अस्थायी निषेधाज्ञा जारी की जाती है कि अप्रार्थीगण, रोही मौजा चक 5 के.एन.एन. तहसील नोहर के जमाबन्दी संवत् 2073–2076 के खाता संख्या 11/11 की कुल तादादी 24 किता की 5.3130 हैक्टेयर एवं रोही मौजा चक 5ए बारानी तहसील नोहर के खाता संख्या 106/14 की कुल 21 की तादादी 4.2500 हैक्टेयर वाद भूमि की आगामी तारीख पेशी तक यथास्थिति बनाये रखें । उपरोक्त स्थगन मंजूरशुदा रास्ता व मंजूरशुदा खाला पर लागू नहीं होगा । वकील प्रार्थी रजिस्टर्ड सम्मन पेश करें । पत्रावली वास्ते तलबी अप्रार्थीगण दिनांक : 20/07/2023 को पेश हो । सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी नोहर (हनुमानगढ़)	
20/7/23	पत्रावली पेश हुई श्रीमान पी.ओ. साहब [illegible] पत्रावली दि0 24/7/23 को पेश हो।	
24/7/23	पत्रावली पेश हुई श्रीमान पी.ओ. साहब [illegible] पत्रावली दि0 28/7/23 को पेश हो।	
28/7/23	पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी [illegible] उपस्थित नहीं। आवाज लगवाई गई। प्रार्थी की ओर से कोई पैरवीकार उपस्थित नहीं। अतः अदम हाजिरी व अदम पैरवी में अनुवादी प्रार्थना पत्र इसी स्टेज पर खारिज किया जाता है। पत्रावली नम्बर से कम होकर बाद तकमील शामिल दफ्तर हो। उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) नोहर (हनुमानगढ़)	

Signature Not Verified
Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2023.12.23 11:14:00 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner